तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील / एल.आर. / 2004 / 3085 / बाडमेर शिवनाथराम बनाम वसनाराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03-9-2019	**एकल पीठ** **श्री हरिशंकर गोयल, सदस्य** **उपस्थित :-** श्री गुलाबसिंह चम्पावत, अभिभाषक अपीलार्थी श्री राजेश गौतम, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट **निर्णय** 1- यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा-76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत न्यायालय राजस्व अपीली प्राधिकारी, बाडमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 7-4-2004 के विरूद्ध पेश की गई है। 2- प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम सुईली तहसील सिवाना जिला बाडमेर की आराजी खसरा नम्बर-227 रकबा 7 बीघा दिनांक 29-6-2002 को आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा वसनाराम पुत्र सवाराम जाति भील को आवंटित की गयी थी। उक्त आवंटन के विरूद्ध अपीलान्ट ने एक अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें कथन किया कि उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा संवत 2033 से लगातार चला आ रहा है। आवंटी वसनाराम भूमिहीन कृषक नहीं था उसके पास पहले से पर्याप्त मात्रा में भूमि थी। इसलिये जो आवंटन वसनाराम को दिनांक 29-6-2002 के द्वारा किया गया है वह सही नहीं है। इसलिये उक्त आवंटन को निरस्त किया जाये। अपील का निर्णय दिनांक 7-4-2004 को किया गया जिसमें विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर ने उक्त	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर./2004/3085/बाडमेर शिवनाथराम बनाम वसनाराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील को सारहीन होने के कारण खारिज कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है। 3– बहस उभय पक्ष सुनी गई। 4– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा संवत 2033 से रहा है। उक्त भूमि के आवंटन से पूर्व किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया था। अप्रार्थी वसनाराम के पास अन्य भूमि होने के कारण वह कृषिहीन व्यक्ति नहीं था एवं आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में स्थानीय जन प्रतिनिधि सरपंच को सूचना नहीं दी गयी थी और बैठक में सरपंच उपस्थित नहीं हुये थे। इन सब कारणों से आवंटन विधिसम्मत नहीं है तथा निरस्त होने योग्य है। अतः द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर आवंटन निरस्त किया जाये। 5– उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने कहा कि दिनांक 29–6–2002 को आवंटन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गयी थी। इसकी विधिवत सूचना प्रसारित की गयी थी और बैठक में जन प्रतिनिधि तथा क्षेत्रीय विधायक श्री गोपाराम मेघवाल, विकास अधिकारी व तहसीलदार सिवाना उपस्थित थे। कार्यवाही विवरण पर उनमें हस्ताक्षर हैं। बैठक में सर्वप्रथम नियमन के प्रकरणों पर विचार विमर्श किया गया जिसमें अपीलान्ट श्री शिवनाथराम का	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील / एल.आर. / 2004 / 3085 / बाडमेर शिवनाथराम बनाम वसनाराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकरण भी सम्मिलित था किन्तु शिवनाथराम को नियमन के योग्य नहीं पाया गया था। इसलिये नियमन का प्रकरण खारिज किया गया। उसके पश्चात विवादित भूमि अप्रार्थी वसनाराम पुत्र सवाराम को आवंटित की गयी। आवंटी चूंकि भील जाति से है जो कि अनुसूचित जन जाति श्रेणी में आता है एवं वह दिव्यांग भी है और इस कारण राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि का आवंटन) नियम–1970 के अन्तर्गत आवंटन हेतु प्राथमिकता क्रम में वह पहले आता है। आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश जिला कलेक्टर, बाडमेर को प्रेषित की गयी थी। अगर आवंटन में अनियमितता होती तो जिला कलेक्टर, बाडमेर नियम–14(4) के अन्तर्गत उक्त आवंटन को निरस्त कर देते। चूंकि आवंटन सही एवं उचित था इसलिये जिला कलेक्टर, बाडमेर ने इसे निरस्त नहीं किया। जहां तक अप्रार्थी के भूमिहीन होने का प्रश्न है। अपीलान्ट ने ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि अप्रार्थी के पास कोई भी भूमि थी। आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा किया गया आवंटन विधिसम्मत था। इसी आधार पर अपीलान्ट की प्रथम अपील विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर ने भी खारिज कर दी। उक्त अपील में भी कोई आधार नहीं होने के कारण खारिज की जाये। 7– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया गया। 8– पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील / एल.आर. / 2004 / 3085 / बाडमेर शिवनाथराम बनाम वसनाराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नकल खसरा परिवर्तनशील के अनुसार आराजी खसरा नम्बर–227 रकबा 7 बीघा पर अपीलान्ट का अतिक्रमण था जो कि संवत 2033–36 तक लगातार रहा। फिर उसके बाद संवत 2039–42 में रहा, फिर संवत 2050–53 तक रहा, फिर संवत 2055 एवं 2057 में कब्जा काश्त का रिकार्ड है। उक्त खसरा परिवर्तनशील से यह साबित होता है कि अपीलान्ट का कब्जा विवादित भूमि पर लगातार नहीं रहा है। बीच के कई वर्षो में अपीलान्ट का कब्जा नहीं था इसलिये अपीलान्ट का यह कथन कि वह संवत 2033 से लगातार कब्जे में है, मानने योग्य नहीं है। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में विकास अधिकारी, तहसीलदार एवं विधायक सिवाना उपस्थित थे। इसलिये बैठक में कोरम भी पूर्ण था। चूंकि विकास अधिकारी ही कैम्प के प्रभारी थे, इसलिये आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया उक्त आवंटन राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि का आवंटन) नियम–1970 के तहत वैध आवंटन था। आवंटित भूमि की किस्म भी बारानी दोयम दर्ज है और उक्त आवंटन को जिला कलेक्टर, बाडमेर के पास भेजा गया। क्योंकि इसमें अन्य लोगों को मगरी भूमि का आवंटन भी किया गया था जिसकी स्वीकृति जिला कलेक्टर से लेनी आवश्यक थी। जिला कलेक्टर, बाडमेर ने भी उक्त आवंटन को सही पाया और नियम–14(4) के तहत खारिज नही किया। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर ने अपने निर्णय में उक्त तथ्यों का उल्लेख किया है और आवंटन को सही माना है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर का निर्णय विधिसम्मत तथा उचित है तथा इसमें हम कोई	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील / एल.आर. / 2004 / 3085 / बाडमेर शिवनाथराम बनाम वसनाराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हस्तक्षेप करना नहीं चाहते हैं।

9– फलतः यह द्वितीय अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर का निर्णय दिनांक 7–4–2004 एवं आवंटन आदेश दिनांक 29–6–2002 यथावत रखे जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरिशंकर गोयल)
सदस्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील / एल.आर. / 2004 / 3085 / बाडमेर शिवनाथराम बनाम वसनाराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए